

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं० / 2023

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	विशेष विवरण
	28/6/24	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/7/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>
	12/7/24	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7/8/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>
	7/8/24	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/9/24 को पेश हो।</p>
	20/9/24	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9/10/24 को पेश हो।</p>
	9/10/24	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/12/24 को पेश हो।</p>
	18.12.24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपरोक्त प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सही लगाना नहीं चाहते हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA को 'Not Press' करने की अनुमति नहीं गयी। अधिवक्ता प्रार्थी के अनुरोध पर प्रार्थना पत्र 'Not Press' करने की अनुमति प्रदान की गयी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजदारी होकर नकल ले जाकर होकर धारिका प्रस्तुत की।</p>

Not Press by
R.M.
18.12.24

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर